न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 20/2022

पन्नाराम पुत्र स्व0 श्री कानाराम जाति जाट नि0 रूपसिंह का बास, तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. रामू
2. किशना
3. भींवा

पुत्रान काना समस्त जाति जाट निवासीयान रूपसिंह का बास तह0 जोबनेर।

4. पेमा पुत्र काना जाति जाट फोत– जरिये कायममुकामान
   4/1– दिनेश पुत्र पेमा
   4/2– प्रहलाद पुत्र पेमा
   4/3– विमला देवी पत्नि पेमा
   समस्त जाति जाट निवासीयान रूपसिंह का बास तह0 जोबनेर
5. परसाराम
6. जगदीश
7. सागर

पुत्रान काना समस्त जाति जाट निवासीयान रूपसिंह का बास तह0 जोबनेर।

8. गीता देवी पत्नि भंवरलाल
9. मीरा देवी पत्नि सुरेशचंद

समस्त जाति अहीर निवासीयान हाथोज, बीड की ढाणी, झोटवाडा जयपुर जिला जयपुर राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 एक्ट

1. श्री सुरेन्द्र कुमार परिहार वकील प्रार्थी
2. श्री श्रवण जाखड वकील अप्रार्थीगण

दिनांक :– 31.01.2024

निर्णय

प्रकरण न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, जयपुर के निर्णय दिनांक 03/08/2017 एवं न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 16.04.2021 से न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) प्राप्त हुआ है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक का निर्णय दिनांक 05/04/2016 अपास्त किया जाता है। प्रकरण में पुनः पक्षकारान को सुनवाई एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा स्वयं मौका देखकर प्रकरण का गुण–अवगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावें।

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0 एक्ट के तहत दिनांक 02.01.2014 इस आशय का पेश किया गया था कि आराजी खसरा नम्बर 15/2 बांके ग्राम रूपसिंह का बास तहसील जोबनेर में स्थित है जो कि प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। जिसके नजदीक आराजी खसरा नम्बर 14 एवं 14/1 पूर्ववर्ती प्रार्थना पत्र में अंकित अप्रार्थीगण (कानाराम एवं हनुमानसहाय) की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। जिसमें से प्रार्थी 15 फुट चौडा रास्ता चाहता है। अतः आराजी खसरा नम्बर 14 एवं 14/1 मे से 15 फुट चौडे रास्ते को रास्ता कायम किया जावें।

तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा पुनः संशोधित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0 एक्ट के तहत दिनांक 06.07.2015 को इस आशय का पेश किया गया था कि नजदीक आराजी खसरा

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

नम्बर 15/1 जो कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। जिसमें से प्रार्थी 15 फुट चौडा रास्ता चाहता है। अतः आराजी खसरा नम्बर 15/1 मे से 15 फुट चौडे रास्ते को रास्ता कायम किया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण मय वकील न्यायालय में उपस्थित आये । वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) का जवाब इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की आराजी में से रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी की आराजीयात पर आने जाने का अन्य रास्ता उपलब्ध है। इसलिए रास्ता कायम किया जाना उचित नहीं है।

इस आधार पर इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 05.04.2016 में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0 एक्ट खारिज किया गया था। इसके पश्चात न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, जयपुर के निर्णय दिनांक 03/08/2017 एवं न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 16.04.2021 कि पालना में प्रकरण को पुनः दर्ज किया गया।

दिनांक 01.11.2021 को पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प बस्सी नागा में पेश हुई। जिसमें विवादित आराजी का मौका देखा गया। जिसमें प्रार्थी को मुख्य मार्ग जोबनेर–जयपुर सडक मार्ग से 15/1 तक पहुंचने के लिए कौनसा मार्ग रहेगा, इसका अंकन नहीं किया गया है। उक्त आदेश की पालना में प्रार्थी द्वारा आराजी खसरा संख्या 49/7 के खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 8 एवं 9 को आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के तहत आवश्यक पक्षकार बनाया गया।

तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा पुनः संशोधित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0 एक्ट के तहत दिनांक 14.03.2022 को इस आशय का पेश किया गया था कि आराजी खसरा नम्बर 15/2 बांके ग्राम रूपसिंह का बास तहसील जोबनेर में स्थित है जो कि प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। प्रार्थी स्वयं की आराजी तक जाने हेतु सबसे नजदीकी रास्ता आराजी खसरा संख्या 15/1 एवं 49/7 में से है। जिसमें से प्रार्थी 15 फुट चौडा रास्ता चाहता है। अतः आराजी खसरा नम्बर 15/1 एवं 49/7 मे से 15 फुट चौडे रास्ते को रास्ता कायम किया जावें।

तत्पश्चात तहसीलदार जोबनेर ने दिनांक 27.05.2022 को खसरा संख्या 49/7 के संबंध में रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मौके पर मुख्य राजमार्ग से खसरा संख्या 49/7 एवं 44/7 की सीमा पर रास्ता बना हुआ है। मुख्य सडक के पास ही दरवाजा लगा हुआ है। जिसकी कुल लम्बाई 215 फुट है।

तहसीलदार जोबनेर ने दिनांक 23.02.2023 को रिपोर्ट इस आशय की पेश कि प्रार्थी द्वारा आराजी खसरा संख्या 15/1 एवं 49/7 में से रास्ता चाहा गया है। आराजी खसरा संख्या 15/1 में रास्ते की लम्बाई 240 फुट है। जिसे "ए" से "बी" विन्दु दर्शाया गया है। तथा आराजी खसरा संख्या 49/7 में रास्ते की लम्बाई 215 फुट है। जिसे "सी" से "डी" विन्दु दर्शाया गया है। जो कि मुख्य राजमार्ग जयपुर–जोबनेर से लगती हुई है। विन्दू संख्या "ए" से "सी" तक रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। परन्तु मौके पर विन्दू "ई" से "एफ" नक्शे के अनुसार ना होकर खातेदारों की आपसी सहमति के अनुसार समानान्तर चालु है। शेष बंद है। खातेदारों द्वारा खसरा संख्या 30/1, 31/1, 32/1 एवं 15/1 को मौके पर शामिल कर काश्त किया जा रहा है।

वकील उभयपक्ष द्वारा लिखित बहस पेश की गयी। वकील प्रार्थी ने लिखित बहस इस आशय की पेश कि है कि आराजी खसरा नम्बर 15/2 बांके ग्राम रूपसिंह का बास तहसील जोबनेर में स्थित है जो कि प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। प्रार्थी स्वयं की आराजी तक जाने हेतु सबसे नजदीकी रास्ता आराजी खसरा संख्या 15/1 एवं 49/7 में से है। जिसमें से प्रार्थी 15 फुट चौडा रास्ता चाहता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के पास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 111/3 ग्राम भीखावास से जुडवा बताया गया है। वर्तमान में इस खसरें की नक्शा तरमीम हो चुकी है। रास्ते एवं खसरा संख्या 247/111 के मध्य खसरा संख्या 243/111 स्थित है। तहसीलदार, सांभरलेक द्वारा खसरा संख्या 23/1, 24/1, 25/1 एवं 26/1 गै0मु0 रास्ते से अतिक्रमण हटाने के पूर्व से ही आदेश किए जा चुके है। प्रार्थी स्वयं की आराजी तक जाने हेतु सबसे नजदीकी रास्ता आराजी खसरा संख्या 15/1 एवं 49/7 में से है। जिसमें से प्रार्थी 15 फुट चौडा रास्ता चाहता है। अतः आराजी खसरा नम्बर 15/1 एवं 49/7 मे से 15 फुट चौडे रास्ते को रास्ता कायम किया जावें।

वकील अप्रार्थीगण ने लिखित बहस इस आशय की पेश कि है कि आराजी खसरा नम्बर 15/2 बांके ग्राम रूपसिंह का बास तहसील जोबनेर में स्थित है जो कि प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। दिनांक 18.12.2015 को तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में ग्रेवल सडक

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

मात्र 180 फुट की दूरी पर निकटतम एवं सुलभ रास्ता बताया गया है। प्रार्थी ने अपने सगे भाईयों से जमीन संबंधित वाद न्यायालयों में पेश कर रखे है। प्रार्थी द्वारा जो रास्ता चाहा गया है। वह जोबनेर–जयपुर मुख्य सडक तक रिकार्ड में नहीं है। प्रार्थी के खसरा से संलग्न खसरा संख्या 15/3 प्रार्थी के नाम दर्ज है। उससे संलग्न खसरा संख्या 16/1 प्रार्थी की पत्नि के नाम दर्ज है। तथा उससे संलग्न खसरा संख्या 111 प्रार्थी के नाम दर्ज है। जिससे डामर सडक की दूरी मात्र 200 फुट है। अतः प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की लिखित बहस का जवाब इस आशय की पेश किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा बताया गया वैकल्पिक रास्ता काफी लम्बा है। अतः प्रार्थी के पास कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

हमने वकील उभयपक्षकारान की बहस को सुना, मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। माननीय न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, जयपुर के निर्णय दिनांक 03/08/2017 एवं न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 16.04.2021 की पालना में दिनांक 19.10.2023 को विवादित आराजी का मौका निरीक्षण भी किया गया।

उक्त प्रकरण में आराजी खसरा नम्बर 15/2 बांके ग्राम रूपसिंह का बास तहसील जोबनेर में स्थित है जो कि प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में आराजी खसरा नम्बर 14 एवं 14/1 से रास्ता चाहा गया था। उसके पश्चात खसरा संख्या 15/1 से रास्ता चाहा गया। तथा इसके पश्चात प्रार्थना पत्र में संशोधन कर खसरा संख्या 49/7 को शामिल कर रास्ता चाहा गया है। दिनांक 18.12.2015 को तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में ग्रेवल सडक से मात्र 180 फुट की दूरी पर निकटतम एवं सुलभ रास्ता बताया जाने पर इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 05.04.2016 में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0 एक्ट खारिज किया गया था। वर्तमान में प्रार्थी द्वारा जिस स्थान से रास्ता चाहा गया है। उस संबंध में तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 23.02.2023 का भी अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा आराजी खसरा संख्या 15/1 एवं 49/7 में से रास्ता चाहा गया है। आराजी खसरा संख्या 15/1 में रास्ते की लम्बाई 240 फुट है। जिसे ''ए'' से ''बी'' बिन्दु दर्शाया गया है। तथा आराजी खसरा संख्या 49/7 में रास्ते की लम्बाई 215 फुट है। जिसे ''सी'' से ''डी'' बिन्दु दर्शाया गया है। जो कि मुख्य राजमार्ग जयपुर–जोबनेर से लगती हुई है। बिन्दू संख्या ''ए'' से ''सी'' तक रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। परन्तु मौके पर बिन्दू ''ई'' से ''एफ'' नक्शे के अनुसार ना होकर खातेदारों की आपसी सहमति के अनुसार समानान्तर चालु है। शेष बंद है। खातेदारों द्वारा खसरा संख्या 30/1, 31/1, 32/1 एवं 15/1 को मौके पर शामिल कर काश्त किया जा रहा है।

माननीय न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, जयपुर के निर्णय दिनांक 03/08/2017 एवं न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 16.04.2021 की पालना में दिनांक 19.10.2023 को विवादित आराजी का मौका निरीक्षण में भी यह तथ्य सामने आया है कि दोनों खसरों के बीच रास्ता आंशिक रूप से ही खुला हुआ है। बीच–बीच में काश्तकारों द्वारा अपने खेतों में रास्ते को शामिल कर काश्त की जा रही है। मुख्य सडक पर भी खसरा संख्या 49/7 में रास्ता बंद है। अतः यह रास्ता सुविधाजनक एवं सुगम नहीं है। दिनांक 18.12.2015 को तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में ग्रेवल सडक से मात्र 180 फुट की दूरी पर निकटतम एवं सुलभ रास्ता बताया गया है। इसलिए प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क खारिज योग्य है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0 एक्ट खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर, जिला–जयपुर

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

(संजय माथुर)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)